GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-V/122
No. PC-V/97/I/9/6

RBE No.229/98
New Delhi, dated 7 .10.98

The GMs/CAO(R)/OSDs,
All Indian Railways & Production Units, etc.,
(As per mailing list)

Subject: Grant of Dearness Relief to Railway pensioners/Family pensioner - revised rates effective from 1.7.98

A copy of Office Memorandum No.42/3/98-P&PW(G) dated 15.09.1998 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension and Pensioners' Welfare) on the above subject is sent herewith for your information and necessary action. As stated in para 2 thereof, these orders will apply to Railway pensioners also.

2. A concordance of various instructions and orders referred to in the enclosed office memorandum with reference to corresponding Railway instructions is indicated below :-

S. No.	Para No.	No. & date of Deptt. of Pension & Pensioners' Welfare's O.M.	No. & date of Corresponding orders issued by Railway Board
1.	1	42/3/98-P&PW(G) dated 15.4.98	PC-V/97/I/9/6 dated 10.06.98(S.No.PC-V/86)
2.	3	4/59/97-P&PW(D) dated 14.7.98	F(E)III/96/PN1/9 dated 18.8.98
3.	4	45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.97	F(E)III/97/PN1/Ex-Gratia/3 dated 31.12.97 (S.No.PC-V/28)

3. Please acknowledge receipt.

4. Hindi version is enclosed.

DA : As above

(Neera Khanna)
Director Pay Commission
Railway Board
New Delhi, dated 7 .10.98

No. PC-V/97/I/9/6

Copy to :

ADAI (Railways), Mathura Road, New Delhi.(with 40 spares)

for Financial Commissioner

Copy forwarded to :-

1. The GM N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं.पी.सी.-V/122 — आर.बी.ई.सं. 229/98
सं.पी.सी.-V/97/आई/9/6 — नई दिल्ली, दिनांक 7.09.98

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
विशेष कार्य अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि
(डाक सूची के अनुसार)

विषय :- रेलवे पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1.7.98 से प्रभावी संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ता प्रदान करना ।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग) के दिनांक 15.9.98 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/3/98-पी एंड पी डब्ल्यू (जी) की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है । उसके पैरा 2 में दर्शाए गए अनुसार यह आदेश रेल पेंशनरों पर भी लागू होंगे ।

2. रेलवे के समनुरूप अनुदेशों के संदर्भ में संलग्न कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न अनुदेशों और आदेशों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

क्र. सं.	पैरा सं.	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग का ज्ञापन सं.एवं तारीख	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुरूपी आदेशों की सं. एवं तारीख
1	1	दिनांक 15.4.98 सं.42/3/98- पी एंड पी डब्ल्यू (जी)	दिनांक 10.6.98 (क्रम सं.पी.सी.V/86) सं.पी.सी.-V/97/आई/9/6
2	3	दिनांक 14.7.98 का 4/59/97 पी एंड पी डब्ल्यू (डी)	दिनांक 18.8.98 का एफ(ई)III/96/पी एन 1/9

3	4	दिनांक 16.12.97 का 45/52/97 पी एंड पी डब्ल्यू (ई)	दिनांक 31.12.97 (क्र.सं. पी.सी.-v/28) का एफ(ई)III/97/पी एन 1/एक्स ग्रेशिया/3

3. कृपया पावती दें ।

(नीरा खुटिया)

संलग्नक : यथोक्त

निदेशक वेतन आयोग, रेलवे बोर्ड